संख्या : बी–1–3990/दस–2007–16/97

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
**प्रमुख सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन ।**

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 09 अक्टूबर, 2007

विषय : विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–बी–1–436/दस–2007 दिनाँक 02 फरवरी, 2007 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं में नियुक्त महानुभावों, जो गोपन अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–14–1–46–87–सी.एक्स.(1) दिनाँक 18 जुलाई, 2007 तथा सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–918/44–1–2007–194/88टी.सी. दिनाँक 06 जुलाई, 2007 से आच्छादित न हों, को मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधायें निम्नवत् अनुमन्य होगें –

1– वेतन/मानदेय –

**(1) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को रुपये 35,000/– प्रतिमाह नियत वेतन / मानदेय**

**(2) सदस्य को रुपये 25,000/– प्रतिमाह नियत वेतन / मानदेय**

(3) इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति, यदि पूर्व में केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन या किसी स्वायत्तशासी संस्था में की गयी सेवा के फलस्वरूप पेंशन पा रहे हैं या उसके हकदार हैं, तो उन्हें उपरोक्तानुसार निर्धारित राशि से पेंशन को घटाकर नियत वेतन/मानदेय देय होगा । नियत वेतन/मानदेय पर कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त यदि इन पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति मा. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो ऐसे व्यक्तियों को गोपन अनुभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों के अनुसार वेतन/मानदेय अनुमन्य होगा ।

2– आवासीय सुविधा –

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को किराया मुक्त सरकारी आवास की सुविधा अनुमन्य होगी तथा सरकारी आवास उपलब्ध न होने या उसका उपभोग न करने की स्थिति में उन्हें सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में समय–समय पर नियत की गयी दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा ।

3– वाहन सुविधा/भत्ता –

अध्यक्ष को सरकारी वाहन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को कार्यालय आने जाने के लिये निजी वाहन का उपयोग किये जाने की स्थिति में 200 लीटर ईंधन के मूल्य के बराबर मासिक समेकित वाहन भत्ता अनुमन्य होगा, जैसा कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्यों को अनुमन्य है अथवा समय–समय पर अनुमन्य किया जाय ।

4– यात्रा भत्ता –

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को निम्नानुसार यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा –

(1) कोई महानुभाव, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के दिनाँक को, सरकारी सेवा में थे, अपनी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने के लिए की गयी यात्रा के लिए फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन एवं सुसंगत आदेशों में स्थानान्तरण पर की गयी किसी यात्रा के लिए दी गयी दरों पर और शर्तों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे ।

(2) किसी महानुभाव, जो इस रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व सरकारी सेवा या किसी निगम की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हों, को अपनी नियुक्ति का कार्यभार ग्रहण करने के लिये की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

(3) ड्यूटी पर यात्रा करने पर कोई महानुभाव ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जैसी फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड तीन एवं सुसंगत आदेशों में सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में विहित की गयी है ।

(4) किसी महानुभाव को अपना कार्यभार छोड़ने पर उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर यात्रा भत्ता स्वीकृत किया जायेगा, जो सरकारी अधिकारी पर, उसकी सेवा निवृत्ति पर अपने गृह नगर जाने के लिए या उस स्थान पर जाने के लिए, जहाँ वह कार्यभार छोड़ने के पश्चात् बसना चाहते हैं, यात्रा भत्ते की स्वीकृति के किये लागू हैं ।

5– अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण –

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को निम्न प्रकार के अवकाश एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य होगी –

क– अवकाश –

(1) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर वर्ष या उसके किसी भाग के लिये पन्द्रह दिन की दर पर उपार्जित अवकाश ।

(2) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के सम्बन्ध में बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाण पत्र पर या निजी कार्यकलाप पर अर्द्ध वेतन अवकाश और अर्द्ध वेतन अवकाश के लिये अवकाश वेतन, उपार्जित अवकाश के दौरान अनुमन्य अवकाश वेतन के आधे के बराबर होगा ।

(3) महानुभाव के विवेक पर अर्द्ध वेतन पर अवकाश को पूर्ण वेतन के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है बशर्ते यह चिकित्सा आधार पर लिया गया हो और चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित हो ।

(4) किसी एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम अवधि तक का साधारण अवकाश ।

(5) अवकाश नकदीकरण

कार्यालय की समाप्ति पर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या सदस्य अपने खाते में जमा उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के बराबर नकद प्राप्त करने के हकदार होंगे बशर्ते कि नकदीकरण किये गये अवकाश की अवधि और कोई नकदीकरण अवकाश, जिसके लिये वह अपनी नियुक्ति के पूर्व हकदार थे, मिलाकर सरकारी अधिकारियों के लिये लागू सीमा से अधिक नहीं होगी ।

(6) अन्य प्रतिकर भत्ते –

इस सामान्य शर्त के अधीन रहते हुए कि प्रतिकर भत्ते की धनराशि को इस प्रकार विनियमित किया जाय कि भत्ता, प्राप्तकर्ता के लिये कुल मिलाकर लाभ का स्रोत न बने, सरकार किसी ऐसी शर्त के अधीन, जो वह लगाना उपयुक्त समझे, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष सहित सदस्यों को कोई प्रतिकर भत्ता स्वीकृत कर सकेगी और उसकी धनराशि निश्चित कर सकेगी ।

(7) अन्य विषय –

अन्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, प्रदेश सरकार के अधीन समकक्ष वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों पर तत्समय प्रवृत्त नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग से सम्बन्धित निगमों/परिषदों/आयोगों/संस्थाओं के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को तदनुसार देय वेतन/मानदेय तथा अन्य सुविधायें अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश, वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए, तत्काल जारी कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें । बाद में इन सेवा शर्तों का समावेश करते हुए सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत नियम/विनियम को प्रख्यापित करवाने की व्यवस्था भी यथाशीघ्र कर लेने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(शेखर अग्रवाल)
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या : बी–1–3990(1) / दस–2007–16 / 97, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. स्टॉफ आफिसर, मंत्रि–मण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश ।
7. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव, वित्त ।